राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार विभाग
(अनुभाग - ३)

क्रमांक: प०६(३१)प्रसु। अनु०३।८४ जयपुर, दिनांक २३ मार्च, ८४

-: आज्ञा :-

राज्य की निर्यातक इकाईयों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों द्वारा निर्यात के क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य करने पर राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार प्रदान करने के लिए निम्नलिखित राजकीय।अराजकीय अधिकारियों की स्थाई चयन समिति के गठन की राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

१ -	शासन सचिव, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर	अध्यक्ष
२ -	प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान, लघु उद्योग निगम, जयपुर	सदस्य
३ -	संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार भारत सरकार, जयपुर	सदस्य
४ -	मानद सचिव, राजस्थान चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री, जयपुर	सदस्य
५ -	क्षेत्रिय प्रबन्धक, जैम व ज्वैलरी निर्यात संवर्धन परिषद, जयपुर	सदस्य
६ -	क्षेत्रीय प्रबन्धक, एपेरेल निर्यात संवर्धन परिषद, जयपुर	सदस्य
७ -	अध्यक्ष, फेडरेशन आफ राजस्थान एक्सपोर्टर्स, जयपुर	सदस्य
८ -	निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर ।	सदस्य सचिव

उक्त चयन समिति, राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा कर पुरस्कार हेतु निर्यातक इकाई। व्यापारिक प्रतिष्ठान के चयन का कार्य करेगी ।

इस परिषद की वर्ष में कम से कम दो बार बैठक होगी । इन बैठकों में भाग लेने हेतु गैर सरकारी सदस्यों को किसी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा । चयन समिति का प्रशासनिक विभाग उद्योग (ग्रुप-१) विभाग होगा ।

आज्ञा से,
(हस्ताक्षर)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-
१ - सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
२ - सचिव, मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
३ - निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
४ - समस्त सदस्य, प्रशासनिक विभाग (उद्योग, ग्रुप-१ के माध्यम से) ।
५ - निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
६ - विशिष्ठ शासन सचिव, उद्योग को उनकी पत्रावली संख्या प०२०(१७)उ।१।९१ के सन्दर्भ में ।
७ - रक्षित पत्रावली । प. २०(17) उद्योग/I/91 पार्ट-II

(हस्ताक्षर)
अनुभाग अधिकारी

नोट :- चयन समिति से सम्बन्धित समस्त पत्र व्यवहार कृपया उद्योग (ग्रुप-१) विभाग से ही करें ।

:ओपी राणा:

क्रमांक प. 20(7)उद्योग/7.91 पार्ट-II जयपुर, दिनांक. 31.8.94

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:- 1\9

1. सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर ।

2. सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।

3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, महोदय, राजस्थान, जयपुर ।

4. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।

5. निजी सचिव, उद्योग सचिव राज. जयपुर।

6. प्रबन्ध निदेशक, राज. लघु उद्योग निगम, जयपुर ।

7. संयुक्त महा निदेशक, विदेश व्यापार भारत सरकार, उद्योग भवन जयपुर ।

8. मानद सचिव, राजस्थान चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, चेम्बर भवन एम.आई. रोड, जयपुर।

9. क्षेत्रिय प्रबन्धक, जैम व ज्वैलरी निर्यात संवर्धन परिषद, जयपुर।

10. क्षेत्रिय प्रबन्धक, एपैरेल निर्यात संवर्धन परिषद, जयपुर।

11. अध्यक्ष, फैडरेशन आफ राजस्थान एक्सपोर्टरस, जयपुर।

12. निदेशक, उद्योग विभाग, राज. जयपुर ।

(हस्ताक्षर)
उपनिदेशक (सांख्यिकी)

आरके. 318

पृ.6 (31)

1. राजस्थान निर्यात पुरस्कार योजना

राज्य में प्रति वर्ष लगभग 32500 करोड़ रूपये का निर्यात हो रहा है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा राज्य में निर्यात उत्पादन को बढ़ाए जाने के उद्धेश्य के लिए आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने हेतु असाईड योजना लागू की गई है। योजना के अन्तर्गत रोड नेट वर्किंग विशेष निर्यात औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। निर्यातकों का ओर अधिक मनोबल बढ़ाये जाने एवं निर्याताकों को पहचान देने की आवश्यकता है। इसके लिए निर्यातकों को प्रति वर्ष पुरस्कार प्रदान किया जाना उचित होगा। पुरस्कार निर्यात परफॉरमेंस एवं अन्य मापदण्डों एवं उत्पादक निर्यातक एवं मर्चेन्ट निर्यातकों का अलग–अलग चयन कर प्रस्तावित वर्गीकरण के आधार पर पुरस्कृत किया जायेगा।

2. निर्यात पुरस्कार निर्धारण का आधार

पुरस्कार दिये जाने हेतु मुख्यतः पिछले वित्तीय वर्ष में किये गये निर्यात के मूल्य को आधार बनाया जायेगा, किन्तु निम्नलिखित बिन्दुओं पर भी अच्छे निर्यातकों को पुरस्कृत किया जावेगा :–

1. **गत दो वर्षों में निर्यात वृद्धि।**
2. **निर्यात हेतु नये बाजारों की खोज।**
3. **नई वस्तुओं का निर्यात**
4. **निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के निर्माण में स्थानीय दक्षता का सदुपयोग।**

3. कार्य विधि

उपरोक्त पुरस्कार हेतु सर्वप्रथम राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। आवेदक निर्यातक इकाई अपना आवेदन जिला उद्योग केन्द्रों अथवा मुख्यालय में प्रस्तुत करेगा।

4. पुरस्कार वितरण

(अ)निर्यात पुरस्कार निम्निलिखित वस्तुओं अथवा वस्तु समूहों के लिए अलग–अलग दिया जायेगा तथा इन वस्तुओं/वस्तु समूहों के निर्माता निर्यातकों को पुरस्कृत किया जायेगा:–

1.	इंजीनियरिंग एवं कम्प्यूटर हार्डवेयर	– 2 पुरस्कार
2.	प्रिसियस एवं सेमीप्रीसियस स्टोन्स	– 2 पुरस्कार
3.	गोल्ड/सिल्वर/प्लेटीनम ज्वैलरी	– 2 पुरस्कार
4.	दरी व गलीचा तथा ऊन आधारित	– 2 पुरस्कार
5.	सिले सिलाये वस्त्र (रेडीमेड गारमेंट्स)	– 2 पुरस्कार
6.	खनिज आधारित उत्पाद	– 2 पुरस्कार
7.	कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण	– 2 पुरस्कार
8.	हैण्डीक्राफ्ट (हस्तकला वस्तुएं)	– 2 पुरस्कार
9.	टेक्सटाइल	– 2 पुरस्कार
10.	इलेक्ट्रोनिक्स	– 2 पुरस्कार
11.	केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स एवं अलाइड प्रोडक्ट्स	– 2 पुरस्कार
12.	विविध वर्ग	– 2 पुरस्कार

13.	काउण्टर सेल टू फॉरेन ट्यूरिस्ट	– 1 पुरस्कार
14.	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर/KPO/BPO एवं अन्य सेवायें	– 2 पुरस्कार
15.	मेटल	– 1 पुरस्कार
16.	लेदर एवं नॉन लेदर फुटवियर एवं अन्य उत्पाद	– 2 पुरस्कार
17.	मेड–अप्स	– 1 पुरस्कार

(ब) प्रत्येक वर्ष दो महिला निर्यातकों उत्पादक निर्यातकों/व्यापारी निर्यातक को पुरस्कृत किया जायेगा।

(स) प्रत्येक वर्ष व्यापारी निर्यातकों को भी पुरस्कृत किया जायेगा।

(द) किसी एक वर्ष में पुरस्कार प्राप्तकर्ता को आगामी दो वर्षों के लिए पुरस्कार हेतु पात्र नहीं माना जायेगा।

(य) किसी वर्ष में निर्माता निर्यातक अथवा व्यापारिक निर्यातक उपलब्ध नहीं होने की दशा में स्थिति अनुसार दोनो पुरस्कार व्यापारिक निर्यातकों को दिये जायेंगे।

(र) किसी वर्ग में आवेदन–पत्र प्राप्त नहीं होने अथवा आवेदकों के अपात्र होने की स्थिति में चयन कमेटी को यह भी अधिकार होगा कि उस वर्ग के पुरस्कार अन्य वर्गों की इकाइयों को जिनमें ज्यादा आवेदक हों, उन्हें पुरस्कृत कर सकती है।

5. पुरस्कारों हेतु चयन समिति

उपरोक्त पुरस्कार हेतु एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें उद्योग आयुक्त, राजस्थान लघु उद्योग निगम, चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, व्यापारी संघों के प्रतिनिधि, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधि, निर्यात संवर्द्धन परिषद के प्रतिनिधि को सम्मिलित किया जायेगा तथा कमेटी द्वारा चयनित निर्यातकों को ही पुरस्कार दिया जायेगा। कमेटी द्वारा समारोह की तिथि समारोह के आयोजन संबंधी कार्यवाही की जायेगी। कमेटी की अध्यक्षता शासन सचिव, उद्योग द्वारा की जायेगी।

6. पुरस्कार

प्रत्येक वस्तु/वस्तु समूह के लिये निर्यातकों को अलग–अलग पुरस्कृत किया जायेगा। लगभग 35 पुरस्कार प्रति वर्ष दिये जायेंगे। पुरस्कार हेतु प्रमाण–पत्र स्मृति चिन्ह दिया जायेगा।

7. योजना की क्रियान्विति आयुक्त,उद्योग विभाग द्वारा की जायेगी। योजना के नियमों में संशोधन एवं प्रशासनिक आदेश उद्योग (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया जायेगा।

मापदण्ड

क. सं.	विवरण	अधिकतम अंक	अंकों का विवरण	कुल अंक
1.	2.	3.	4.	5.
1.	वर्ष में किया गया निर्यात	40	1 करोड़ रू0 से 5 करोड रू0 तक	5 अंक
			5 करोड़ रू0 से 15 करोड रू0 तक	10 अंक
			15 करोड़ रू0 से 30 करोड रू0 तक	15 अंक
			30 करोड़ रू0 से 50 करोड रू0 तक	20 अंक
			50 करोड़ रू0 से 75 करोड रू0 तक	25 अंक
			75 करोड़ रू0 से 100 करोड रू0 तक	30 अंक
			100 करोड़ रू0 से 150 करोड रूप्ये तक	35 अंक
			150 करोड रू0 से अधिक	40 अंक
2.	निर्यात पुरस्कार वर्ष में पिछले वर्ष के मुकाबले वृद्धि पर।	10	25% तक वृद्धि होने पर	2 अंक
			25 %से अधिक व 50%तक वृद्धि होने पर	4 अंक
			50 %से अधिक व 75%तक वृद्धि होने पर	6 अंक
			75 %से अधिक व 100 %तक वृद्धि होने पर	8 अंक
			100 %से अधिक वृद्धि होने पर	10 अंक
3.	निर्यात पुरस्कार के पिछले वर्ष में उससे पहले के वर्ष के मुकाबले वृद्धि पर	10	25% तक वृद्धि होने पर	2 अंक
			25 %से अधिक व 50%तक वृद्धि होने पर	4 अंक
			50 %से अधिक व 75%तक वृद्धि होने पर	6 अंक
			75 %से अधिक व 100 %तक वृद्धि होने पर	8 अंक
			100 %से अधिक वृद्धि होने पर	10 अंक
4.	नये बाजारों की खोज	10	5 %तक का निर्यात नये बाजारों में किये जाने पर	1 अंक
			5 %से अधिक व 10 %से कम	2 अंक
			10 %से अधिक व 20 %से कम	4 अंक
			20 %से अधिक व 40 %से कम	6 अंक
			40 %से अधिक व 60 %से कम	8 अंक

			60 %से अधिक होने पर	10 अंक
5.	नये उत्पादों का निर्यात	8	कुल निर्यात के 10 % तक निर्यात नये उत्पादों का किये जाने पर	2 अंक
			10 %से अधिक व 25 %तक होने पर	4 अंक
			25 %से अधिक होने पर	8 अंक
6.	स्थानीय दक्षता का उपयोग	8	25 % तक स्थानीय रोजगार होने पर	2 अंक
			25% से अधिक 50% तक होने पर	4 अंक
			50% से अधिक 75 %तक होने पर	6 अंक
			75% से अधिक होने पर	8 अंक
7.	स्थानीय कुशल एवं अकुशल श्रमिकों को उपलब्ध कराया गया रोजगार।			
	(अ) रोजगार के पद में वेतन भत्तों पर व्यय की गई राशि	2	संवर्ग में प्राप्त अधिकतम व्यय करने वाली इकाई से संबंधित एवं शेष इकाइयों को समानुपातिक अंक प्रदान किये जायेंगे।	2 अंक
	(ब) कर्मचारी भविष्य निधि श्रमिक बीमा योजना, चिकित्सा पुर्नभरण पर	2	श्रमिकों को उक्त योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई राशि यथा–20 लाख रूपये के व्यय पर कम होने की स्थिति में समानुपातिक रूप से अंक प्रदान किये जायेंगे।	2 अंक
8.	रिसर्च एण्ड डवलपमेंट	4	रिसर्च एण्ड डवलपमेंट पर कुल पूंजीगत 5% तक	1 अंक
			रिसर्च एण्ड डवलपमेंट पर कुल वयय का 5 %से अधिक तथा 10% तक	2 अंक
			10% से अधिक व 15 %तक होने पर	3 अंक
			15 %से अधिक होने पर	4 अंक
9.	राष्ट्रीय स्तर का प्रमाण पत्र	2		2 अंक
10.	इको फ्रेंडली environment के लिए किये गये कार्य	2		2 अंक
11.	अर्न्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रमाणन या इनोवेटिव कार्य	2		2 अंक
	कुल	100		100 अंक